शब्द–ब्रह्म
E ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका 17 अप्रैल 2016
पीअर रीव्यूड रेफ्रीड रिसर्च जर्नल

स्थानीय स्वशासन : मौर्यकालीन एवं वर्तमान भारत

डॉ.चन्द्रलेखा सांखला, (अतिथि विद्वान)
राजनीति विज्ञान
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
राजगढ़, मध्यप्रदेश, भारत

शोध संक्षेप

भारत प्राचीन काल से ही प्रबंधन एवं प्रशासन के क्षेत्र में विश्व का सिरमौर रहा है। विदेशों से आने वाले कई प्रसिद्ध विद्वानों मेगस्थनीज, फाह्यान, ह्वेनसांग आदि को भारतीय लोक व्यवस्था, प्रबंधन तथा नगर प्रशासन ने विस्मित किया है.और उन सभी ने अपने-अपनी कृतियों में विस्तार से भारत की इस गौरव गाथा का बखान किया है । मौर्य काल को भारत के प्रथम स्वर्ण युग के तौर पर उसकी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए जाना जाता है।. मेगस्थनीज ने अपनी कृति 'इंडिका' में विस्तार से मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में बताया है। मौर्य काल में स्थानीय स्वशासन बेहद विकसित रूप में था. और ग्राम इकाइयों को पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त थी. अर्थात मौर्ययुग में शासन का रूप विकेन्द्रीकृत था, जो कि जनभागीदारी प्राप्त करने का प्रथम और मुख्य साधन है। प्रस्तुत शोध पत्र में मौर्यकालीन व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान भारत की चर्चा की गयी है।

भूमिका

भारत में प्राचीनकाल से ही स्थानीय स्वशासन अस्तित्त्व में रहा है। भले ही इसे विभिन्न नामों से जाना जाता रहा हो । यदि हम मौर्य काल में स्थानीय स्वशासन की बात करें तो मौर्यकाल में स्थानीय स्वशासन काफी विकसित था और ग्राम इकाइयों को स्वायत्तता प्राप्त था । शासन की व्यवस्था के लिए प्रत्येक प्रान्त को अनेक जनपदों में विभक्त किया गया था । कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' के अनुसार प्रत्येक जनपद के अंतर्गत निम्नांकित विभाग थे - पहला - 'स्थानीय' इसमें लगभग 800 ग्राम सम्मिलित होते थे ।. दूसरा - 'द्रोणमुख' इसमें लगभग 400 ग्राम, और तीसरा - 'खार्वटिक' इसमें 200 ग्राम तथा चौथा 'ग्राम' यह 10 गाँवों का समूह होता था , जिसका प्रबंध निर्वाचित व्यक्ति द्वारा किया जाता था । जिसे ग्रामिक कहते थे जो आज के प्रधान / सरपंच की तरह होता था। मूलतः देखा जाय तो मौर्यकालीन पंचायती व्यवस्था तथा आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था में काफी समानताएं हैं , किन्तु जो मूल अंतर है वह है- मौर्य काल स्थानीय निकाय चार चरणों में विभक्त था, किन्तु वर्तमान में इसमें तीन चरण हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था 'बलवंत राय मेहता' समिति की सिफारिशों पर आधरित है।

पंचायती राज व्यवस्था में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण इकाई 'ग्राम पंचायत' है । इसीके ऊपर सम्पूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था का भवन खड़ा हुआ है। मौर्य काल में इसे पूरा महत्त्व दिया गया था । मौर्य काल में ग्रामीण प्रशासन पूर्णतः कृषि से सम्बद्ध था।. गाँव में परिवारों की संख्या 100 या इससे ज्यादा 500 तक होती थी । ग्रामीण प्रशासनिक कर्मचारियों में अध्यक्ष, लेखाकार तथा विभिन्न पदाधिकारी सम्मिलित होते थे।

शब्द–ब्रह्म
E ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका 17 अप्रैल 2016
पीअर रीव्यूड रेफ्रीड रिसर्च जर्नल

मौर्यकाल और वर्तमान भारत

आज ग्राम पंचायतों में एक ग्राम सभा होती है । पंचायत का प्रत्येक मतदाता उसका सदस्य होता है। उसी प्रकार मौर्य शासन में प्रत्येक गाँव में एक सभा होती थी, जो गाँव के सभी प्रकार के प्रकरणों के विषय में निर्णय लेती थी । सभा के पास कानून निर्माण का भी अधिकार प्राप्त था । इस वजह से मौर्यकाल में राजकीय न्यायालयों का आभाव था। सभी सामुदायिक गतिविधियों का संचालन ग्राम सभा द्वारा ही किया जाता था । ग्राम सभा में गाँव के सभी परिवारों के प्रतिनिधि, वृद्ध एवं अनुभवी लोग भाग लेते थे। ग्राम सभाएँ सार्वजनिक हित से सम्बंधित सभी प्रकार की योजनायें बनाती थी । ये सिंचाई के लिए नहरों और तालाबों के निर्माण व देखरेख का कार्य भी करती थीं।.ग्राम सभाओं को कर व चुंगी लगाने का अधिकार भी था। मौर्योत्तर काल (200 ई. पू. - 300 ई. पू.) में भी गाँव प्रशासन की सबसे छोटी और सशक्त इकाई बने रहे जैसे अध्यक्ष 'वृद्ध सभा' की सहायता से गाँव के लिए महत्त्वपूर्ण निर्णय लेता था तथा उसकी भूमिका सामुदायिक कार्यों में महत्त्वपूर्ण बनी रही। अंग्रेजी शासन काल में पंचायत व्यवस्था को सर्वाधिक धक्का पहुंचा और यह व्यवस्था बिखर गई। हालाँकि गाँव स्तर पर पंचायतों का अस्तित्त्व अब भी था किन्तु अब वे प्रभावहीन हो गई थीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। सन 1993 में 73वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा पंचायती राज संस्था को संवैधानिक मान्यता दी गयी । 73वां संविधान संशोधन अधनियम, 1992 के अनुसार एक त्रिस्तरीय ढांचे की स्थापना की गई - ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती पंचायत तथा जिला पंचायत . 73वां संशोधन अधिनियम पंचायतों को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में काम करने हेतु आवश्यक शक्तियां और अधिकार प्रदान करता है ,. जिसके तहत विभिन्न प्रकार के कर लगाने और वसूल करने का अधिकार पंचायतों को दिया गया है। ग्राम सभा पंचायत मतदाता सूची में शामिल व्यक्तियों से मिलकर बनी संस्था है. राज्यों का दायित्व है कि ग्राम सभा के सदस्यों को उनके अधिकारों और शक्तियों से अवगत कराना ताकि जन भागीदारी सुनिश्चित हो और विशेषकर महिलाओं तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों जैसे सीमांतीकृत समूह भाग ले सकें। ग्राम स्तर पर लोगों का कल्याण सुनिश्चित करना । इसमें स्वास्थ्य , शिक्षा, समुदाय भाईचारा , विशेषकर जेंडर और जाति-आधारित भेदभाव के संबंध में सामाजिक न्याय , झगड़ों का निबटारा , बच्चों का विशेषकर बालिकाओं का कल्याण जैसे मुद्दे हैं। 73वें संविधान संशोधन में जमीनी स्तर पर जन संसद के रूप में ऐसी सशक्त ग्राम सभा की परिकल्पना की गई है , जिसके प्रति ग्राम पंचायत जवाबदेह हो। लेकिन ये सब तभी संभव होगा जब ग्राम पंचायतों को दिए गए अधिकार वास्तविक धरातल पर किये जाएँ । सिर्फ आंकड़ों में नहीं और इसके साथ-साथ ग्राम सभा का प्रत्येक व्यक्ति जागरूक होकर सामुदायिक कार्यों के प्रति निष्ठापूर्ण एवं स्वप्रेरणा से विकास कार्यों में भागीदा री करे । अगर ऐसा किया जाय तो निश्चित रूप से स्थानीय शासन की दृष्टि से ये स्थानीय स्वशासन में भारत का पुनर्जागरण होगा।

सन्दर्भ ग्रंथ

1 ग्रामीण विकास के विविध आयाम - डॉ. जनक सिंह मीना (Gyan Publishing House, 2010)
2 भारतीय संविधान : 73 वां संविधान संसोधन